निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 15/2009 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन, निवासी 85/688, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, सांगानेर ने दिनांक 18.03.2009 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिनांक 17.03.2009 को पुलिस स्टाफ प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के द्वारा सूचना देने पर उनके साथ प्लाट नम्बर 85/688 प्रताप नगर, जयपुर मे घरेलू गैस सिलण्डरो से अवैध रूप से नोन आई.एस.आई. छोटे सिलेण्डरों में गेस भरने की शिकायत की जांच के संबंध में मौके पर पहुचे। मौके पर श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन उपस्थित मिले जो अवैध रूप से सिलेण्डरों में से गैस निकालकर छोटे सिलेण्डरों में बांसूरी के जरिये गैस भरने की कार्यवाही शुरू कर ही रहे थे। इतने में पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पकड लिया गया। उसके कब्जे से दो घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम क्षमता के क्रमशः एच.पी. एवं आई.ओ.सी. क्रम्पनी के जिसमें आई.ओ.सी. वाला भरा हुआ तथा एच.पी. वाला खाली पाया गया। एक व्यावसायिक सिलेण्डर एच.पी. का 19 किलोग्राम क्षमता का खाली पाया गया। एक छोटा नोन आई.एस.आई. व चार बांसूरी (गैस स्थानान्तरण करने का उपकरण) श्री विकास जैन के कब्जे से जब्त किये गये। मौके पर सांगानेर गैस एजेन्सी के व्यवस्थापक को बुलाया गया तथा सिलेण्डरों का तौल करवाया गया। उक्त सामान का जब्त कर पुलिस थाना प्रताप नगर के सुपुर्द किया गया। श्री विकास जैन के द्वारा अवैध रूप से गैस स्थानान्तरण करने का कार्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिस पर अभियोग संख्या 94/09U/S3/7EC ACT में पंजीबद्व किया गया तथा आरोपी श्री विकास जैन को दिनांक 18.03.2009 को गिरफ्तार किया जाकर J/C करवाया गया। आरोपी श्री विकास जैन के आधिपत्य में से 1 सिलेण्डर नम्बर 46643 एच.पी.सी. खाली, 1 सिलेण्डर नम्बर 587261 आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम, 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर नम्बर 067812 एच.पी.सी. खाली, 4 बांसूरी तथा 1 छोटा नान आई.एस.आई. सिलेण्डर कब्जे में लिये गये तथा थाना प्रताप नगर में जमा माल खाना किये गये। आरोपी श्री विकास जैन के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चार्ज शीट नम्बर 29/09 दिनांक 14.04.2009 दिनांक 23.04.2009 को चालान पेश कर दिया गया। अतः जब्तशुदा 1 सिलेण्डर नम्बर 46643 एच.पी.सी. खाली, 1 सिलेण्डर नम्बर 587261 आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम, 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर नम्बर 067812 एच.पी.सी. खाली, 4 बांसूरी तथा 1 छोटा नान आई.एस.आई. सिलेण्डर के निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर जयपुर

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 12.06.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर एवं थाना अधिकारी पुलिस थाना प्रताप नगर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स व अन्य उपकरणो का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। अप्रार्थी की ओर से श्री सुभाष चन्द खण्डेलवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी को अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित नहीं आये।
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोंग व रिफलिंग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्लाट नम्बर 85/688 प्रताप नगर, जयपुर मे घरेलू गैस सिलण्डरो से अवैध रूप से नोन आई.एस.आई. छोटे सिलेण्डरों में श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन अवैध रुप से सिलेण्डरों में से गैस निकालकर छोटे सिलेण्डरों में बांसूरी के जरिये गैस भरने की कार्यवाही शुरू कर ही रहे थे। इतने में पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे पकड लिया गया। उसके कब्जे से दो घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम क्षमता के क्रमशः एच.पी. एवं आई.ओ.सी. कम्पनी के जिसमें आई.ओ.सी. वाला भरा हुआ तथा एच.पी. वाला खाली पाया गया। एक व्यावसायिक सिलेण्डर एच.पी. का 19 किलोग्राम क्षमता का खाली पाया गया। एक छोटा नोन आई.एस.आई. व चार बांसूरी (गैस स्थानान्तरण करने का उपकरण) श्री विकास जैन के कब्जे से जप्त किये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 1 सिलेण्डर नम्बर 46643 एच.पी.सी. खाली, 1 सिलेण्डर नम्बर 587261 आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम, 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर नम्बर 067812 एच.पी.सी. खाली, 4 बांसूरी तथा 1 छोटा नान आई.एस.आई. सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।
5. हमने विभागीय पैरोकार द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 17.03.2009 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. धरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में अवैध रूप से गैस अन्तरण का कार्य किया जा रहा था। जिससे घरेलू गैस का अवैध स्थानान्तरण करने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञापत्र घरेलू गैस सिलेण्डररर्स में से अवैध गैस अन्तरण यंत्र बांसूरी के जरिये एल.पी.जी. गैस अन्तरण का कार्य किया गया है। जो द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है अतः जब्तशुदा 1 सिलेण्डर नम्बर 46643 एच.पी.सी. खाली, 1 सिलेण्डर नम्बर 587261 आई. ओ.सी. मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम, 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर नम्बर 067812 एच.पी.सी. खाली, 4 बांसूरी तथा 1 छोटा नान आई.एस.आई. सिलेण्डर को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 1 सिलेण्डर नम्बर 46643 एच.पी.सी. खाली, 1 सिलेण्डर नम्बर 587261 आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम, 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर नम्बर 067812 एच पी.सी. खाली, 4 बांसूरी तथा 1 छोटा नान आई.एस.आई. सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिसथाना प्रताप नगर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 12.06.2009 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना प्रताप नगर सांगानेर एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर